न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–43/2016/भीलवाड़ा (2016/00084)

1. ओमप्रकाश पुत्र रामदत्त व्यास, निवासी रायला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा दिनांक 12.12.2015 प्रार्थना पत्र संख्या 143/2014 .

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पोर्डेटस अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–22.12.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रायला, तहसील बनेड़ा की जमाबंदी संवत् 2016 लगायत 2019 के बिलानाम काबिल काश्त आराजी खसरा संख्या 433 रकबा 30–09–00 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें से संवत् 2018 में ग्राम पंचायत रायला को 18 बीघा गांवाई पान पापड़ी व चराई हेतु आवंटित की गई, जो इंतकाल संख्या 103 संवत् 2018 के जरिये गैर खातेदार अधिकार से ग्राम पंचायत रायला के नाम दर्ज कर दी गई, जिसका इंद्राज खसरा संख्या 433/1 के रूप में राजस्व रिकाड में भी कर दिया गया । उक्त भूमि मौजा रायला की जमाबंदी संवत् 2024 से

2027 के कॉलम संख्या 4 में ग्राम पंचायत रायला के नाम दर्ज है लेकिन गैर खातेदारी का अंकन नहीं किया गया तथा कॉलम संख्या 7 में आराजी खसरा संख्या 433/1 रकबा 18 बीघा भूमि का प्रकार आबादी होने का त्रुटिपूर्ण रूप से इंद्राज राजस्व कर्मी द्वारा कर दिया गया, जो गलत है । इस प्रकार कॉलम संख्या 4 में आसामी के कॉलम में ग्राम पंचायत, रायला के नीचे गैर खातेदार अंकन कर भूमि का प्रकार आबादी हटाया जावे । उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा ने प्रकरण का निर्णय करते हुए आदेश दिनांक 12.12.2015 के द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये, बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतया अवैधानिक आदेश है तथा विधि के प्रतिकूल है । अधी0न्याया0 ने धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 के प्रावधानों को समझने में भारी भूल की है क्योंकि धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 में भू-अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय ऐसी त्रुटि दुरूस्त करने का अधिकार है, जो राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से प्रकट होती हो, तथा वर्तमान प्रकरण में ग्राम पंचायत, रायला को जो भूमि आवंटित की गई थी वह आबादी हेतु नहीं होकर यह भूमि गांवाई पान पापड़ी व चराई हेतु आवंट्ति थी, परन्तु इस भूमि बाबत् आबादी शब्द बिना किसी आधार के जमाबंदी में अंकित किया गया है । यह त्रुटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है जिसे भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 136 की शक्तियों का प्रयोग किया जाकर दुरूस्त किया जाना चाहिये था, परन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याा0 ने भू-अभिलेख अधिकारी को अभिलेखों में त्रुटि दुरूस्त करने का अधिकार होने के बावजूद धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद प्रस्तुत करने के निर्देश देने में त्रुटि कारित की है । स्वंय तहसीलदार, बनेड़ा ने अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 ग्राम रायला के खसरा संख्या 433 बाबत् आबादी शब्द किस सक्षम अधिकारी के द्वारा अंकित किया गया, इस पर तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि इस संबंध में जमाबंदी में कोई अंकन किया हुआ नहीं है, एवं इस बाबत् सूचना दिया जाना संभव नहीं है कि आबादी शब्द किस आदेश या अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अशुद्ध लेखन से भूमि का वर्गीकरण परिवर्तित होने के

आधार पर जिस उद्देश्य से भूमि सार्वजनिक कार्य हेतु दी गई, वह उद्देश्य ही समाप्त होने की स्थिति में वांछित दुरूस्ती किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 राज0 भू-राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 के प्रावधानों को समझे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 12.12.2015 को अपास्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील करने हेतु अभिभाषक से निवेदन किये जाने पर अभिभाषक ने दिनांक 5.2.2016 को नकल हेतु आवेदन किया, जिस पर नकल दिनांक 10.2.2016 को प्राप्त हुई । अभिभाषक ने अपीलांट को आश्वस्त किया कि अपील में विलंब नही होगा तथा अपील समयावधि 90 दिवस है । अपीलांट द्वारा अजमेर आकर अभिभाषक से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि अपील की समयावधिा 60 दिवस है तत्पश्चात् अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में विलंब कानून की अज्ञानता तथा गलत जानकारी से हुआ है जो सद्भाविक विलंब है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । न्यायहित में हम अपीलांट को सुना जाना आवश्यक समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

1- प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली एवं अपीलांट की बहस पर मनन किया गया । अपीलांट का कथन है कि मौजा रायला के खसरा नंबर 433 रकबा 30-09-00 बीघा में से 18 बीघा भूमि ग्राम पंचायत रायला को गांवाई पान पापड़ी व चराई आवंटित की गई थी जो इंतकाल संख्या 103 संवत् 2018 के जरिये गैर खातेदारी अधिकार से ग्राम पंचायत रायला के नाम दर्ज कर दी गई, जिसका इंद्राज खसरा संख्या 433/1 के रूप में राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया था किन्तु जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के कॉलम संख्या 4 में ग्राम पंचायत रायला के नाम दर्ज होकर गैर खातेदारी का अंकन नहीं कर कॉलम संख्या 7 में आराजी खसरा संख्या 433/1 रकबा 18 बीघा की किस्म आबादी दर्ज कर दिया गया जो गलत है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने ग्राम पंचायत के विरूद्ध अनुतोष चाहा है किन्तु अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा न्यायालय हाजा के समक्ष` समक्ष प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत, रायला को पक्षकार नियुक्त नहीं किया है जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, एवं आवश्यक पक्षकार के

अभाव में भी अपीलांट का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । अपीलांट ने ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत को गांवाई पान पापड़ी व चराई हेतु आवंट्ति की गई थी । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि प्रकरण सेट्लमेंट से पूर्व का होने से वांछित अनुतोष हेतु अपीलांट को राज0काश्त0अधि0 की धारा 88 व 188 के तह वाद दायर करना चाहिये था । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने प्रार्थना पत्र एवं अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 43/2016 (2016/00084) बउनवानी ओमपकाश बनाम राज0 सरकार को अपास्त किया जाता है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 143/2014 बउनवान ओमप्रकाश बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर